न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 137 /2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2024/ 160

प्रार्थी

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय नागौर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास **बनाम**

अप्रार्थीगण

1. कुशलदास पुत्र श्री प्रेमदास, निवास पता– 19 सुनार और सदनो का बास, ताड़ावास, खींवसर नागौर
   सम्पत्ति पता– खसरा नं. 5557 1203 प्लॉट नं. 61, महादेव नगर, खींवसर, नागौर
2. श्रीमती समुड़ी पत्नी श्री कुशलदास, निवास पता– 19 सुनार और सदनो का बास, ताड़ावास, खींवसर, नागौर
3. श्री चेतन दास, निवासी–19 सुनारो और सदनो का बास, ताड़ावास, खींवसर नागौर

आदेश

दिनांकः 22/07/2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **रूपये 28,480/–(अक्षरे अठाईस हजार चार सौ अस्सी रूपये मात्र) दिनांक 25.09.2021, रूपये 3,57,000/–(अक्षरे तीन लाख सतावन हजार रूपये मात्र) दिनांक 24.09.2021 एवं 3,63,000/–(अक्षरे तीन लाख त्रेसठ हजार रूपये मात्र) दिनांक 26.10.2021** के ऋण उपलब्ध करवाये गये। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– खसरा नम्बर 5557/1203 प्लॉट नं 61, महादेव नगर, खींवसर, नागौर, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में–प्लॉट नं. 62, दक्षिण में – प्लॉट नं 66, पूर्व में–प्लॉट नं 69, पश्चिम में–रास्ता 28 फुट है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 03.06.2023 को एन.पी.ए.** घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 30,373/–(अक्षरे तीस हजार तीन सौ तेहतर रूपये मात्र), 3,71,602 (अक्षरे तीन लाख इकहतर हजार छः सौ दो रूपये मात्र) एवं 3,85,286 (अक्षरे तीन लाख पिच्यासी हजार दो सौ छियासी रूपये मात्र) कुल 7,87,261 (अक्षरे सात लाख सितयासी हजार दो सौ इकसठ रूपये मात्र) दिनांक 14.06.2023 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 15.06.2023 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 30,373/–(अक्षरे तीस हजार तीन सौ तेहतर रूपये मात्र), 3,71,602 (अक्षरे तीन लाख इकहतर हजार छः सौ दो रूपये मात्र) एवं 3,85,286 (अक्षरे तीन लाख पिच्यासी हजार दो सौ छियासी रूपये मात्र) कुल 7,87,261 (अक्षरे सात लाख सितयासी हजार दो सौ इकसठ रूपये मात्र) दिनांक 14.06.2023 तक शेष देय है व इससे आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– में **सम्पति– खसरा नम्बर 5557/1203 प्लॉट नं 61, महादेव नगर, खींवसर, नागौर, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में–प्लॉट नं. 62, दक्षिण में – प्लॉट नं 66, पूर्व में–प्लॉट नं 69, पश्चिम में–रास्ता 28 फुट है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 28,480/–(अक्षरे अठाईस हजार चार सौ अस्सी रूपये मात्र) दिनांक 25.09.2021, रूपये 3,57,000/–(अक्षरे तीन लाख सतावन हजार रूपये मात्र) दिनांक 24.09.2021 एवं 3,63,000/–(अक्षरे तीन लाख त्रेसठ हजार रूपये मात्र) दिनांक 26.10.2021 को** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे में **सम्पति– खसरा नम्बर 5557/1203 प्लॉट नं 61, महादेव नगर, खींवसर, नागौर, जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है– उत्तर में–प्लॉट नं. 62, दक्षिण में – प्लॉट नं 66, पूर्व में–प्लॉट नं 69, पश्चिम में–रास्ता 28 फुट है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त सम्पति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को दिलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर